

परियोजना का नाम	:- नौगांव स्यूरी मोटर मार्ग के किमी बैण्ड से रस्टाडी बिरुन्था हाते हुए कण्डाऊ तक 3.150 है० वनभूमि का हस्थान्तरण (०.00 कि०मी०)
-----------------	---

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल

प्रमाणित किया जाता है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता हेतु संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल जनपद उत्तरकाशी के शासनादेश संख्या-1953/iii -2/09-29(प्रा०अ०)/०६ दि० 4.09.2006 के अन्तर्गत नौगांव स्यूरी मोटर मार्ग के किमी बैण्ड से रस्टाडी बिरुन्था हाते हुए कण्डाऊ (०.00 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु सिविल सोयम जिसका क्षेत्रफल 3.150 है० है के हस्थान्तरण मामले में दुगने क्षेत्रफल 6.300 है० के अनवरत सिविल एवं सोयम भूमि मौजा जरडा में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है, तथा खसरा नं० का विवरण निम्न लिखित है-

क्रम सं०	जिला	परगना	पट्टी	तहसील	मौजा	खाता संख्या	भूमि का विवरण			अन्य विवरण
							खसरा न०	कुल रकबा है०	अर्जित रकबा है०	
	उत्तरकाशी	बड़कोट	मुगरसंती	बड़कोट	जरडा श्रेणी 9 खाते के बाहर का कृषकों की भूमि	उत्तराखण्ड सरकार	2541	2.382	2.382	है०
							2409	2.883	2.883	है०
							2408	3.322	1.035	है०
							योग	8.587	6.300	है०

राजस्व उप निरीक्षक
राजस्व उप निरीक्षक
बड़कोट - बड़कोट (उ. का.)

तहसीलदार
जरडा, बड़कोट
उत्तरकाशी